परिपत्र

पीएफआरडीए/2026/55/आरईजी-पीओपी/10 **दिनांक: 13 नवंबर 2026**

सेवा में,
सभी उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), सभी केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), एनपीएस न्यास और अन्य हितधारक,

विषय: एनपीएस के अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और प्रवासी भारतीय नागरिक (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) (ओसीआई) अभिदाताओं की केवाईसी आवश्यकताओं संबंधी दिनांक 02.12.2025 के परिपत्र में संशोधन

कृपया अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के एनपीएस में शामिल होने हेतु केवाईसी आवश्यकताओं पर जोर देने वाले 25.09.2025 को जारी पत्र में संशोधन संबंधी **दिनांक 02.12.2025 के** परिपत्र संख्या **पीएफआरडीए/2025/22/आरईजी-पीओपी/04 "**मास्टर परिपत्र में संशोधन - अपने ग्राहक को जानें/धन शोधन विरोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (केवाईसी/एएमएल/सीएफटी) करने संबंधी दिशानिर्देश का संदर्भ लें।

2. उपर्युक्त परिपत्र में एनआरआई/ओसीआई अभिदाताओं को एनपीएस में शामिल करने के लिए लागू अभिदाता सुरक्षा जांच (सीडीडी) और संवर्धित सुरक्षा जांच (ईडीडी) आवश्यकताओं के साथ-साथ पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों का निर्धारण किया गया है। हालांकि, 'समुद्री यात्रा (सीफेरर)' प्रोफाइल वाले एनआरआई को एनपीएस में शामिल होने के समय विदेशी पते का प्रमाण उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। 'समुद्री यात्रा (सीफेरर)' प्रोफाइल वाले एनआरआई अभिदाताओं को रोजगार और अनिवासी दर्जे के उचित सत्यापन की सुविधा हेतु, ऐसे अभिदाताओं के संबंध में दस्तावेजी अपेक्षाओं को निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार, दिनांक 02.12.2025 के परिपत्र द्वारा यथासंशोधित पैरा 8.3 (क) की "टिप्पणी" के बिंदु संख्या iv के अंतर्गत मौजूदा प्रावधानों के बाद निम्नलिखित प्रावधान समाविष्ट किए जाएंगे:

(iv) एनपीएस टीयर I खाता खोलने के प्रयोजनार्थ, सभी विनियमित संस्थाएं (आरई) 'समुद्री यात्रा (सीफेरर)' प्रोफाइल वाले एनआरआई अभिदाताओं के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को पते के प्रमाण (पीओए) के रूप में स्वीकार करेंगी। इसके अलावा, ऐसे अभिदाताओं के संबंध में जो वर्तमान में किसी जहाज पर यात्रा कर रहे हैं, उनके वर्तमान पते के संबंध में नियोक्ता के विदेशी पते या अभिदाता के भारतीय पते को प्रस्तुत किया जा सकता है:

क) नियोक्ता/शिपिंग कंपनी के साथ एक वैध रोजगार अनुबंध, समुद्री यात्रा करने से संबंधित नये करार के संबंध में ;

ख) सतत निर्वहन प्रमाणपत्र (सीडीसी), बशर्ते कि निर्वहन मुहर /रिकॉर्ड छह महीने से अधिक पुराना न हो;"

4. दिनांक 02.12.2025 के परिपत्र और दिनांक 25.09.2025 के केवाईसी/एएमएल/सीएफटी संबंधी मास्टर परिपत्र अन्य सभी प्रावधान यथावत बने रहेंगे।

5. यह परिपत्र पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है, और यह परिपत्र इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

भवदीय,

आशीष कुमार
मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन अंशदान प्रबंधन विभाग (पीओपी)

5 वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली - 110029
5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi – 110 029
Phone: 011 - 26517501, 26517503. website: www.pfrda.org.in

CIRCULAR

PFRDA/2026/55/REG-POP/10 **Date: 13th November 2026**

To,

All Points of Presence (PoPs), All Central Recordkeeping Agencies (CRAs), NPS Trust and other stakeholders

Subject: Amendment to Circular dated 02.12.2025 regarding KYC requirements for Non-Resident Indian (NRI) and Overseas Citizen of India (OCI) subscribers to NPS

Reference is invited to PFRDA Circular No. **PFRDA/2025/22/REG-POP/04 dated 02.12.2025** on "Amendment to Master Circular – Guidelines on Know Your Customer / Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (KYC/AML/CFT) issued on 25.09.2025 with an emphasis on KYC requirements for Non-Resident Indian (NRI) and Overseas Citizen of India (OCI) onboarding to NPS".

2. The aforesaid circular prescribes the documents admissible as Proof of Identity (PoI) and Proof of Address (PoA), along with the applicable Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) requirements for onboarding of NRI/OCI subscribers to NPS. However, the NRIs, who are in 'Seafarer" profile, are finding it difficult to provide overseas address proof at the time of onboarding into NPS. In order to facilitate appropriate verification of the employment and non-resident status of NRI subscribers having a seafarer work profile, it has been decided to prescribe the documentary requirements for such subscribers.

3. Accordingly, the following provision shall be inserted after the existing provisions under "Note" as point no. iv to Para 8.3 (a), as amended vide circular dated 02.12.2025:

(iv) For the purpose of opening NPS Tier I accounts, all Regulated Entities (REs) shall accept any one of the following documents as Proof of Address (PoA) in respect of an NRI subscriber having a seafarer work profile. Further, in respect of such subscribers who are currently onboard a ship, the current address may be furnished as either the overseas address of the employer or the Indian address of the subscriber:

a) A valid employment contract with the employer/shipping company, in the case of a seafarer proceeding on a fresh contract;

b) A Continuous Discharge Certificate (CDC), provided that the disembarkation stamp/record therein is not more than six months old;"

4. All other provisions of the circular dated 02.12.2025 and the Master Circular on KYC/AML/CFT dated 25.09.2025 shall remain unchanged.

5. This circular is issued in exercise of the powers conferred under Section 14(1) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, and shall come into effect from the date of its issuance.

Yours Sincerely,

Ashish Kumar
Chief General Manager
Regulation Contribution Management Department (PoP)

5 वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली - 110029
5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi – 110 029
Phone: 011 - 26517501, 26517503. website: www.pfrda.org.in